प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अन्तर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I तथा II में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमश: वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय III विहंगावलोकन तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों की लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, बोर्ड तथा सरकारी कम्पनियों एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदन की अभ्युक्तियों को पृथक रुप से प्रस्तुत किया गया है।